भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 141

29.11.2021 को उत्तर के लिए

संकटापन्न जानवरों की अवैध तस्करी

141. श्री जी. एम. सिद्देश्वर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान संकटापन्न जानवरों की अवैध तस्करी से जुड़े मामलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान मारे गए संकटापन्न जानवरों की संख्या कितनी है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान संकटापन्न जानवरों की हत्या या तस्करी के लिए ऐसे कितने लोगों के विरूद्ध मामले दर्ज किए गए हैं; और

(घ) मंत्रालय संकटापन्न जानवरों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहा है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क), (ख) और (ग) वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को राज्य वन और पुलिस प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराएं गए आंकड़ों के आधार पर, गत तीन वर्षों के दौरान वन्यजीव संबंधी पंजीकृत मामले और गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र.सं.	वर्ष	मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या
1	2018	648	1099
2	2019	805	1506
3	2020	601	1231

मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर अवैध शिकार के कारण हुई बाघों की मृत्यु का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र.सं.	वर्ष	अवैध शिकार
1	2018	34
2	2019	17
3	2020	7

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विभिन्न कारणों से हुई हाथियों की मृत्यु का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र.सं.	वर्ष	रेल दुर्घटनाएं	बिजली के झटके	अवैध शिकार	ज़हर देना
1	2018-19	19	81	6	9
2	2019-20	14	76	9	0
3	2020-21	12	65	14	2

मंत्रालय स्तर पर अन्य वन्यजीवों की मृत्यु/शिकार का ब्यौरा समेकित नहीं किया जाता है।

(घ) अवैध शिकार और वन्यजीवों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु उठाए गए महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार है :

(i) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में उसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में वन्यजीव अपराध (धों) के लिए प्रयुक्त किसी उपस्कर, वाहन या हथियार को जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है।

(ii) वन्यजीव अपराधों को रोकने के लिए केन्द्रीय स्तर पर वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) स्थापित किया गया है, जो राज्य वन विभागों और अन्य विधि प्रवर्तन अभिकरणों के साथ मिलकर कार्य करता है।

(iii) वन्यजीवों, पक्षियों और उनके पर्यावासों को संरक्षण प्रदान करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत पूरे देश में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करते हुए सुरक्षित क्षेत्रों अर्थात् राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्वों का सृजन किया गया है।

(iv) वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें अन्य के साथ-साथ पक्षियों और उनके पर्यावासों में सुधार सहित वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन्यजीव पर्यावासों का विकास, बाघ परियोजना और हाथी परियोजना शामिल है।

(v) 'वन्यजीव पर्यावासों के विकास' की वर्तमान केन्द्र-प्रायोजित स्कीम में हंपबैक व्हेल, हिम तेंदुआ, हंगुल, संगाई हिरण, समुद्री कछुआ, बस्टर्ड, लाल पांडा, निकोबार मेगापोड, जेर्डन की कौरसेर, कैरकल और गिद्ध सहित गंभीर रूप से संकटापन्न 22 प्रजातियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान संकेंद्रित करने हेतु 'गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजातियों और पर्यावासों के लिए बहाली कार्यक्रम' का एक विशिष्ट घटक शामिल किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को पक्षियों और पशुओं की गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजातियों के बहाली कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(vi) सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आदि जैसे विधि प्रवर्तन अभिकरण जो वन्यजीव अपराध को रोकने में अपना योगदान देते हैं, को वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा प्रशिक्षित किया गया है।

(vii) भारत, वन्य प्राणिजात और वनस्पति की संकटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन (साइटस), दक्षिण ऐशियाई वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क (एसएडब्ल्यूईएन) का एक पक्षकार है और यह वन्यजीव अपराध को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय अभिकरणों के साथ मिलकर काम करता है।

*****